फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

बाबूलाल बनाम रति देवी वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र धारा 212 **RTA** नं. 82 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। हमने वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से जारी की जाती है कि विवादित आ.ख.नं. 1755 रकबा 0.16 हैक्टे. वाके ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर में अप्रार्थी संख्या 1 रति देवी, आगामी तारीख पेशी 16.07.2025 तक मौके पर नवीन निर्माण नहीं करें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में नियत दिनांक को उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. होवें। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होवें। नियत दिनांक से पूर्व आदेशानुसार तलवी हेतु तलवाना पेश नहीं पेश करने पर जारी शुदा स्थगन स्वतः ही खारिज समझा जावेगा। कैफियत पालनार्थ तहसीलदार, भुसावर व उपपंजीयक भुसावर को भेजी जावें। पत्रावली दिनांक 16.07.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	
16.07.25	आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित उन्होंने प्रा० पत्र 212 RTA को Not press किया गया प्रार्थी के वकील प्रा० पत्र 212 RTA को और आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रा० पत्र प्रार्थी not press में इसी stage पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन दिनांक 13.06.25 भी निरस्त किया जाता है।	Not press (हस्ताक्षर) Dd

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होके बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

(राधेश्याम मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

भुसावर (भरतपुर)